मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, २०२१

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ४ का स्थापन.

३. धारा ३४ का संशोधन.

४. धारा ३५ का लोप.

५. धारा ३७ का संशोधन.

६. धारा ३८-क का संशोधन.

७. धारा ४०-क का संशोधन.

८. धारा ४९-क का संशोधन.

९. धारा ५४-क का संशोधन.

१०. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"४. **"देशी मदिरा" "विदेशी मदिरा" और "हेरीटेज मदिरा" घोषित करने की शक्ति.**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या उसके भाग के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कौन सी मदिरा "देशई मदिरा", "विदेशी मदिरा" और "हेरीटेज मदिरा" समझी जाए.".

धारा ३४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (४) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (३)" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ का लोप किया जाए.

धारा ३७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ३८-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३८-क में, शब्द "तीन सौ रुपए" और "दो हजार रुपए" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "तीस हजार रुपए" और "दो लाख रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ४०-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४०-क में शब्द "दो वर्ष" तथा "दो हजार रुपए" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "तीन वर्ष" तथा "तीन हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ४९-क का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा-४९-क में,—

(एक) उप-धारा (१) में, खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(एक) यदि मानवीय उपभोग के लिए अनपयुक्त पाई जाती है— कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा;

(दो)	मनुष्य को क्षति पहुंचाती है—	कारावास से, जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आठ वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा;
(तीन)	मनुष्य की मृत्यु कारित करती है—	कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा.''.

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष्य में,—

''(क)	उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन.	कारावास से जो छह वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जाएगा;
(ख)	उपधारा (१) के खण्ड (दो) के अधीन.	कारावास से जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जायेगा;
(ग)	उपधारा (१) के खण्ड (तीन) के अधीन.	मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी जो बीस लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जाएगा.''.

(तीन) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण.**—इस धारा में, ''विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निर्मिति जो विकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत ऐसी स्पिरिट युक्त निर्मिति से बनी मदिरा, फ्रेन्च पोलिश, वार्निश और तरल द्रावक आती हैं.''.

धारा ५४-क का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५४-क में, परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ६१ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-क, धारा ३९ और धारा ४४ के अधीन, किसी अपराध का संज्ञान, कलक्टर या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, लिखित परिवाद या रिपोर्ट पर ही;''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से यथोचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(१) वर्तमान में आबकारी अधिनियम केवल ''देशी मदिरा'' और ''विदेशी मदिरा'' की परिभाषा को अधिसूचित किए जाने का उपबंध करता है. राज्य में उत्पादित स्वदेशी मदिरा को प्रोत्साहित करने और राज्य में अतिरिक्त राजस्व लाने के उद्देश्य से ''हेरिटेज मदिरा'' नाम से मदिरा की एक पृथक श्रेणी मूल अधिनियम की धारा ४ में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है.

(२) अध्याय-सात में अधिकथित अपराधों और शास्तियों से संबंधित शास्तियों की सीमाओं को आबकारी अपराधों की गंभीरता के कारण, जिनसे कि कड़ाई से निपटना आवश्यक है, पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है. अतएव मूल अधिनियम की धारा ३७ तथा ३८-क में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

(३) अवैध तथा नकली मदिरा के कारण राज्य में मृत्यु तथा अंधेपन के मामले प्रकाश में आए हैं. वर्तमान में धारा ४९-क नकली मदिरा से संबंधित दांडिक उपबंध करती है. लोगों को इस अवैधानिक कृत्य में लिप्त होने से भयोपरत करने के लिए दांडिक उपबंधों में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है.

(४) अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख ५ अगस्त, २०२१.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के निम्नांकित खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्योजन राज्य सरकार को किया जा रहा है:—

खण्ड (२) मदिरा का प्रकार घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने; तथा

खण्ड (१०) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिये धारा ३४, धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-क, धारा ३९ और धारा ४४ के अधीन, किसी अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु अधिकारी प्राधिकृत किये जाने;

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) से उद्धरण

धारा-४. यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा क्रमशः देशी मदिरा'' और विदेशी मदिरा समझी जाएगी-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कौन सी मदिरा, इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए, क्रमशः ''देशी मदिरा'' और विदेशी मदिरा'' समझी जाएगी.

* * * *

धारा-३४. विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिये शास्ति-(४) मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियाँ तथा प्रवहणों का अभिग्रहण या अधिहरण और ऊपर उपधारा (२) में यथा उपरबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दकरण ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके.

धारा-35. { किसी (विप्रकृत स्पिरिट या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति } को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति-जो कोई—

(क) किसी (विप्रकृत स्पिरिट या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति) को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्पिरिट का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या आंतरिक रूप से औषधि के रूप में या किसी भी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से मानवीय उपभोग के लिये किया जाए, या

(ख) अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा जिसके कि बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रत्यन खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किये गये आशय से किया गया है,

(ग) (विप्रकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विप्रकृत स्पिरिट को या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा)

वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा साथ ही जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये कम का नहीं होगा किंतु जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो छः वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से, भी जो एक हजार पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किंतु छः हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मिति जो विप्रकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत ऐसी स्पिरिटयुक्त निर्मिति से बनी मदिरा, फ्रेन्च पालिश, वार्निश और तरल द्रावक (थिनर्स) आती है.

* * *

धारा-३७. उन अपराधों के लिये शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबंध नहीं है—जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे साशय कार्यलोप का, जो है अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम, जारी की गई किसी भी अधिसूचना या दिये गये किसी भी आदेश के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो, और जिसके के लिये इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो, दोषी हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, जा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा-३८-क. मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर, ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने देने के लिए शास्ति—

यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा विनिर्मित किये गये, बेचे गये या विक्रय के लिए रखे गये या अभिदर्शित किये गये किसी मादक द्रव्य में, अनुज्ञप्ति में यथाविहित के अलावा कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक अथवा कोई मंदक या रंजक मिश्रित करेगा, या मिश्रित करने देगा अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसा मादक द्रव्य होगा जिसमें कि ऐसा अपमिश्रण किया गया हो, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा-४०-क. अधिकारी, आदि को बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिये दण्ड-जो कोई

(ए) किसी आबकारी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या

(ब) इतिला देने वाले किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करेगा या से बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक को हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा-४९-क. मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त मदिरा के आयात के लिये या विप्रकृत स्प्रिटयुक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिये दण्ड-(१) जो कोई—

उस स्थिति में जबकि यतास्थिति ऐसी मदिरा, विप्रकृत स्परिट, विप्रकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति, स्पिरिट या परिवर्तित विप्रकृत स्पिरिट—

(एक) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है—कारावास से जो दो मास से कम का नहीं होगा किंतु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(दो) मनुष्य को क्षति पहुंचाती है.—कारावास से, जो चार मास से कम का नहीं होगा किंतु जो चार वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(तीन) मनुष्य की मृत्यु कारित करती है—कारावास से, जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(२) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष में.

(क) उपधारा (२) के खण्ड (एक) के अधीन कारावास से, जो छः मास से कम का नहीं होगा किंतु जो चार वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) के अधीन कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो छः वर्ष तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(ग) उपधारा (२) के खण्ड (तीन) के अधीन आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

धारा-५४-क. बाधा या हमले के लिये वारण्ट के बिना गिरफ्तारी—

कोई भी आबकारी ऑफिसर जो ऐसे पद से निम्न पद का न हो जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करें, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) से उद्धरण

धारा-४. यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा क्रमशः देशी मदिरा'' और विदेशी मदिरा समझी जाएगी-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कौन सी मदिरा, इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए, क्रमशः ''देशी मदिरा'' और विदेशी मदिरा'' समझी जाएगी.

* * * *

धारा-३४. विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिये शास्ति-(४) मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियाँ तथा प्रवहणों का अभिग्रहण या अधिहरण और ऊपर उपधारा (२) में यथा उपरबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दकरण ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके.

धारा-35. { किसी (विप्रकृत स्पिरिट या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति } को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति-जो कोई—

(क) किसी (विप्रकृत स्पिरिट या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति) को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्पिरिट का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या आंतरिक रूप से औषधि के रूप में या किसी भी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से मानवीय उपभोग के लिये किया जाए, या

(ख) अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा जिसके कि बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रत्यन खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किये गये आशय से किया गया है,

(ग) (विप्रकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विप्रकृत स्पिरिट को या विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा)

वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा साथ ही जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये कम का नहीं होगा किंतु जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो छः वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से, भी जो एक हजार पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किंतु छः हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''विप्रकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मिति जो विप्रकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत ऐसी स्पिरिटयुक्त निर्मिति से बनी मदिरा, फ्रेन्च पालिश, वार्निश और तरल द्रावक (थिनर्स) आती है.

* * *

धारा-३७. उन अपराधों के लिये शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबंध नहीं है—जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे साशय कार्यलोप का, जो है अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम, जारी की गई किसी भी अधिसूचना या दिये गये किसी भी आदेश के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो, और जिसके के लिये इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो, दोषी हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, जा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा-३८-क. मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर, ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने देने के लिए शास्ति—

यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा विनिर्मित किये गये, बेचे गये या विक्रय के लिए रखे गये या अभिदर्शित किये गये किसी मादक द्रव्य में, अनुज्ञप्ति में यथाविहित के अलावा कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक अथवा कोई मंदक या रंजक मिश्रित करेगा, या मिश्रित करने देगा अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसा मादक द्रव्य होगा जिसमें कि ऐसा अपमिश्रण किया गया हो, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा-४०-क. अधिकारी, आदि को बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिये दण्ड-जो कोई

(ए) किसी आबकारी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या

(ब) इतिला देने वाले किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करेगा या से बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक को हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा-४९-क. मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त मदिरा के आयात के लिये या विप्रकृत स्प्रिटयुक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिये दण्ड-(१) जो कोई—

उस स्थिति में जबकि यतास्थिति ऐसी मदिरा, विप्रकृत स्पिरिट, विप्रकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति, स्पिरिट या परिवर्तित विप्रकृत स्पिरिट—

(एक) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है—कारावास से जो दो मास से कम का नहीं होगा किंतु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(दो) मनुष्य को क्षति पहुंचाती है.—कारावास से, जो चार मास से कम का नहीं होगा किंतु जो चार वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(तीन) मनुष्य की मृत्यु कारित करती है—कारावास से, जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

(२) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष में.

(क) उपधारा (२) के खण्ड (एक) के अधीन कारावास से, जो छः मास से कम का नहीं होगा किंतु जो चार वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) के अधीन कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो छः वर्ष तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

(ग) उपधारा (२) के खण्ड (तीन) के अधीन आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

धारा-५४-क. बाधा या हमले के लिये वारण्ट के बिना गिरफ्तारी—

कोई भी आबकारी ऑफिसर जो ऐसे पद से निम्न पद का न हो जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करें, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा.

परन्तु इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति की जमानत, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा मंजूर की जायेगी. यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा पुलिस या आबकारी ऑफिसर के समक्ष उसकी उपसंजाति के लिये पर्याप्त जमानत दी जाये.

* * *

धारा-६१. अभियोजन का निर्बधन-(१) कोई भी न्यायालय—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिये धारा ३४, धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-ए, धारा ३९ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, कलेक्टर के या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, परिवाद या रिपोर्ट पर ही, और

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा